न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 04/2020(2020/00253)

अनवान : –

1. संजय कुमार रिणवा पुत्र बेणीप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर हाल निववी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया बैंक के पीछे भादरा।

अपीलान्ट।

बनाम

1. अल्ट्राटैक इन्फावेन्चर प्रा0 लि0 पी0 एन0 82 पश्चिम विहार वैशाली नगर जयपुर जरिये मुखत्यार आम अभिमन्यु पुत्र नरेश कुमार जाति जाट निवासी हरनाथपुरा पोस्ट भोजासर तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. ग्राम पंचायत रामगढ़िया पंचायत समिति भादरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रामगढ़िया।

रेस्पोडेन्टस

प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने
नामान्तरकरण संख्या 971
अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री कपूरचन्द शर्मा अपीलान्ट

दिनांकः 15/12/2020

निर्णय

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस की ओर से एक अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध इन्तकाल संख्या 971 दिनांक 22.06.2020 रोही मौजा चक 10 बारानी पटवार हल्का रामगढ़िया को अपास्त कर पुनः इन्तकाल खोले जाने हेतु अपील प्रस्तुत की। चक 10 बारानी के खाता संख्या 12/8 के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 22/2 की 0.089 है0, 23/2 की 0.0130 है0, मुरब्बा नम्बर 53 के किला न0 2 की 0.253 है0, 3 की 0.253 है0 में से 0.194 है0, 8 की 0.253 है0 में से 0.194 है0, 9 की 0.253 है0, 13 की 0.253 है0 में से 0.194 है0 इस प्रकार कुल 1.190 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से क्रय की थी तथा शेष भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उपस्थित नही आयें, जिसके चलते उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अपीलान्ट सुनी गई। बहस के दौरान अपीलान्ट ने कथन किया कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से विशेष किलेजात की भूमि क्रय की थी। अपीलान्ट ने चक 10 बारानी के खाता संख्या 12/8 के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 22/2 की 0. 089 है0, 23/2 की 0.0130 है0, मुरब्बा नम्बर 53 के किला न0 2 की 0.253 है0, 3 की 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:28:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

253 है0 में से 0.194 है0, 8 की 0.253 है0 में से 0.194 है0, 9 की 0.253 है0, 13 की 0.253 है0 में से 0.194 है0 विशेष किलेजात की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से जरिये बैयनामा खरीद की थी। जिसका बैयनामा उप पंजीयक कार्यालय भादरा से दिनांक 14.05.2020 को अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित करवाया था।

अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कुल 2.3410 हैक्टेयर कृषि भूमि में से मुरब्बा नम्बर 33 व 53 की विशेष किलेजात की भूमि क्रय की थी एवं विशेष किलेजात का ही बैयनामा अपीलान्ट ने अपने पक्ष में निष्पादित करवाया था परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 2 एवं हल्का पटवारी ने विशेष किलेजात की उक्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 971 संयुक्त खाते में दर्ज कर लिया था। बैयनामा में भूमि अपीलान्ट की विशेष किलेजात में दर्ज है। विशेष किलेजात की भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने से अपीलान्ट को नाहक परेशानी व क्षति पहुंची है तथा अपीलान्ट के खातेदारी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। संयुक्त खाता में दर्ज होने से अपीलान्ट भूमि में आवश्यक सुधार भी नही कर सकता है। अपीलान्ट ने प्रमाणित जमाबन्दी चक 10 बारानी खाता संख्या 12/8, प्रमाणित नामान्तरकरण रजिस्टर चक 10 बारानी एवं प्रमाणित बैयनामा दिनांक 14.05.2020 प्रस्तुत किये है।

बहस अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए नामान्तरकरण संख्या 971 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अपीलान्ट ने रोही मौजा चक 10 बारानी के खाता संख्या 12/8 के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 22/2 की 0.089 है0, 23/2 की 0.0130 है0, मुरब्बा नम्बर 53 के किला न0 2 की 0.253 है0, 3 की 0.253 है0 में से 0.194 है0, 8 की 0.253 है0 में से 0.194 है0, 9 की 0.253 है0, 13 की 0.253 है0 में से 0.194 है0 इस प्रकार कुल 1.190 हैक्टेयर कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से क्रय की थी। वकील अपीलान्ट ने तस्दीक किये गये इन्तकाल संख्या 971 को निरस्त करवाकर पुनः मुताबिक बैयनामा इन्तकाल खुलवाने के लिए निवेदन किया।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा वाद भूमि की बाबत तस्दीक किये गये इन्तकाल संख्या 971 दिनांक 22.06.2020 को खारिज किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार भादरा को प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि मुताबिक बैयनामा दिनांक 14.05.2020 को इन्तकाल दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.11 11:28:14 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 15/12/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह)
RAS
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़